Toppersnotes®
Unleash the topper in you

HCS

हरियाणा सिविल सेवा

प्रीलिम्स

हरियाणा लोक सेवा आयोग

भाग - 9

हरियाणा सामान्य ज्ञान

SIERRA INNOVATIONS

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	हरियाणा सामान्य ज्ञान	
1.	हरियाणा – एक दृष्टि	1
2.	हरियाणा विविध	7
3.	हरियाणा का प्राचीन इतिहास	14
4.	हरियाणा का इतिहास मध्यकालीन	17
5.	हरियाणा आधुनिक इतिहास	18
6.	प्रमुख दरगाह, मस्जिद एवं मकबरे	19
7.	हरियाणा के कला एवं संगीत	23
8.	हरियाणा के प्रमुख नृत्य	25
9.	हरियाणा के भाषा एवं साहित्य	27
10.	हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालय	28
11.	प्रमुख पर्यटन स्थल	29
12.	राज्य के प्रमुख खेल एवं स्टेडियम	31
13.	हरियाणा के प्रमुख मेले एवं त्यौहार	33
14.	हरियाणा की जनगणना	37
15.	वेशभूषा एवं आभूषण	37
16.	हरियाणा के प्राचीन किले	39
17.	हरियाणा समाचार पत्र	44
	हरियाणा का भूगोल	
1.	हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य एवं भू आकृति	45
2.	हरियाणा जलवायु एवं मृदा	47
3.	हरियाणा में अपवाह तंत्र नदी-नहरे, झीले	49
4.	हरियाणा कृषि एवं पशुपालन	53
5.	हरियाणा वन एवं वन्य जीव	55
6.	खनिज संसाधन	57
7.	हरियाणा जिलेवार परिचय	62
8.	हरियाणा की प्रसिद्ध योजनाएँ	77

हरियाणा की राजव्यवस्था		
1.	राज्यपाल	**78**
2.	मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	**81**
3.	राज्य विधानमंडल	**85**
4.	न्यायपालिका	**89**
5.	हरियाणा में स्थानीय स्वशासन	**93**
6.	जिला प्रशासन	**99**
7.	संवेधानिक निकाय	**105**
8.	गैर-संवेधानिक निकाय	**106**
हरियाणा की अर्थव्यवस्था		
1.	हरियाणा में सिंचाई	**108**
2.	हरियाणा के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन	**113**
3.	हरियाणा में उद्योग	**121**
4.	हरियाणा में परिवहन एवं संचार	**135**

1
CHAPTER

राज्यपाल

- राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
- हरियाणा के राज्यपाल को पद की शपथ चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
- राजभवन हरियाणा के राज्यपाल का आवासीय स्थान है।

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद - 153 से 162)

- भाग: भारतीय संविधान के भाग **VI** में वर्णन
- राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद (ट्रिक – राकानिप/योग्य शर्तश/आक्षमाका)

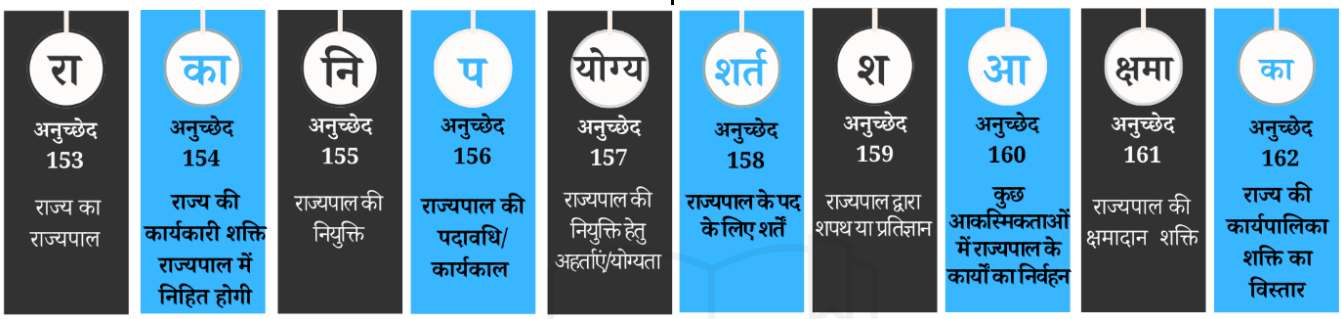

राज्य का राज्यपाल (अनुच्छेद 153)

- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति (अनुच्छेद 154)

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार प्रत्यक्षतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद 155)

- नियुक्ति: राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा नियुक्ति। (अनुच्छेद 155)
- **7**वां संविधान संशोधन अधिनियम **1956:** इसके तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल/पदावधि (अनुच्छेद 156)

- कार्यकाल: राज्यपाल**, 5** वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
  - 5 वर्ष की कार्यावधि समाप्त होने पर भी राज्यपाल तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि उसका उतराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
- स्थानांतरण**:** राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- निष्कासन: संविधान में राज्यपाल के निष्कासन से सम्बंधित किसी भी आधार का उल्लेख नहीं है।
- त्यागपत्र**:** राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है।

अर्हताएँ / योग्यताएं (अनुच्छेद 157)

- अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए, एक व्यक्ति को
  - भारत का नागरिक होना चाहिए |
  - वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो ।

राज्यपाल के पद के लिए शर्तें (अनुच्छेद 158)

- **गवर्नर बनने के लिए** व्यक्ति **संसद** या **राज्य विधानमंडल** का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होते हुए गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो उसे गवर्नर के पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से ही उस सदन में अपनी सीट रिक्त करना पड़ेगा ।
- वह अन्यत्र लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- **वह किराए मुक्त शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा।**
- संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार।
  - जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसकी परिलब्धियाँ राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में उनके बीच विभाजित की जाती हैं।
  - सेवा अवधि के दौरान उनकी परिलब्धियाँ और भत्ते कम नहीं किये जायेंगे।

शपथ (अनुच्छेद 159)

- राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठत्तम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता हैं ।

शक्तियां और कार्य

कार्यपालिका शक्तियाँ

- समस्त कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर की जाती है।
- उन्हें अपने नाम से जारी और लागू किए गए आदेशों और निर्देशों के प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया स्थापित करने का अधिकार होता है।
- गवर्नर राज्य सरकार के कामकाज को सही तरीके से चलाने के लिए नियम बना सकते हैं।
- नियुक्ति संबंधी अधिकार
    - राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त सभी नियुक्त पदाधिकारी राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
- राज्य के मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों और विधायी कार्यों के संबंध में जानकारी की मांग कर सकता है।
- राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है।
- राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है और उनमें कुलपति की नियुक्ति करता है।

विधायी शक्तियाँ

- राज्य विधानमंडल को आहूत या सत्रावसान करना
- राज्य विधान सभा को विघटित करना
- राज्य विधानमंडल के पहले सत्र में अभिभाषण देना
- राज्य विधानमंडल में लंबित विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडल के सदन को संदेश भेजना
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करना
- प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना
- निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेना
- राज्य विधानमंडल में पारित विधेयकों के सम्बन्ध में शक्ति
    - विधेयक को स्वीकृति दे सकता है।
    - विधेयक स्वीकृति के लिए रोक सकता है।
    - विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
        - धन विधेयक नहीं भेज सकता
        - पुनर्विचार के बाद पारित विधेयक को स्वीकृति अनिवार्य (अनुच्छेद-200)
    - विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।

निम्नलिखित परिस्थियों में

- यदि संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो।
- नीति निदेशक तत्वों के विरूद्ध हो।
- देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो।
- राष्ट्रीय महत्व का विषय हो।
- संविधान के अनुच्छेद 31क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।

- राज्य विधानमंडल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243 (I)), राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 323) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 151) की प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना

वित्तीय शक्तियाँ

- राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही धन **या वित्त** विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधान सभा में अनुदान की मांग की जा सकती है।
- वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) को प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाए।
- किसी आकस्मिक व्यय के लिए वह **राज्य** की आकस्मिकता निधि **(अनुच्छेद 267)** से अग्रिम ले सकता है ।
- वह प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु **वित्त** आयोग का गठन करता है।

न्यायिक शक्तियाँ

- न्यायिक नियुक्तियाँ: राष्ट्रपति, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु **राज्यपाल** से परामर्श करता है।
    - **राज्यपाल**, राज्य उच्च न्यायालय की सहायता से जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति करता है।
    - वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श द्वारा जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- अनुच्छेद **213:** जब **राज्य विधानमंडल** के एक या **दोनों सदनों** का सत्र नहीं चल रहा हो और वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी **परिस्थितियाँ** मौजूद हैं, जहाँ **तत्काल कार्रवाई** की आवश्यकता है, तब वह राज्य सूची के विषय के संबंध में **अध्यादेश** जारी कर सकता है।
- अध्यादेश, सामान्य कानून की तरह ही लागू होगा।
    - **अध्यादेशों को प्रख्यापित/जारी करने से सम्बंधित प्रतिबंध-**
        - यदि राज्य विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, या
        - यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने।
        - यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए।
- राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को **विधानमंडल** के नए सत्र की शुरुआत से **6** सप्ताह की अवधि तक अनुमोदन करना आवश्यक है अन्यथा यह अप्रभावी हो जाता है।
    - अध्यादेश के समाप्त होने से पहले किसी भी **समय** उसे **वापस** लिया जा सकता है।

आपातकालीन शक्तियाँ

- यदि राज्यपाल को समाधान हो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो सकती है,तो वह राष्ट्रपति को इस आशय का प्रतिवेदन दे सकता है **(अनुच्छेद-356),** इससे राष्ट्रपति को राज्य के सरकारी कार्यों के सभी या **कुछ भागों के प्रबंधन** हेतु **आमंत्रित** किया जा सकता है। **(राष्ट्रपति शासन)**

विवेकाधीन शक्तियाँ (अनुच्छेद 163)

- राज्यों में संवैधानिक लोकतंत्र का आधार।
- अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि, राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि उसे अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की आवश्यकता हो।
- यदि इस बात पर कोई संदेह है कि क्या कोई विषय ऐसा है जिसके लिए राज्यपाल के पास विवेकाधीन अधिकार है, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम है और विवेकाधीन शक्ति के तहत किए गए कार्य की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

हरियाणा के राज्यपालों की सूची

क्र. सं.	नाम	कब से	कब तक
1.	धर्मवीर	1 नवंबर, 1966	14 सितंबर 1967
2.	बीएन चक्रवर्ती (सबसे लंबा कार्यकाल)	15 सितंबर, 1967	26 मार्च, 1976
3.	आरएस नरूला	27 मार्च, 1976	13 अगस्त, 1976
4.	जयसुख लाल हाथी	14 अगस्त, 1976	23 सितंबर 1977
5.	हरचरण सिंह बरार	24 सितंबर 1977	9 दिसंबर, 1979
6.	एसएस संधवालिया	10 दिसंबर, 1979	27 फरवरी, 1980
7.	जीडी तापसे	28 फरवरी, 1980	13 जून 1984
8.	एसएमएच बार्नी	14 जून 1984	21 फरवरी 1988
9.	एच.ए. बरारी	22 फरवरी, 1988	6 फरवरी 1990
10.	धनिक लाल मंडल	7 फरवरी 1990	13 जून 1995
11.	महावीर प्रसाद	14 जून 1995	18 जून 2000
12.	बाबू परमानंद	19 जून 2000	1 जुलाई 2004
13.	ओम प्रकाश वर्मा (सबसे छोटा कार्यकाल)	2 जुलाई 2004	7 जुलाई 2004
14.	एआर किदवई	7 जुलाई 2004	27 जुलाई 2009
15.	जगन्नाथ पहाड़िया	27 जुलाई 2009	26 जुलाई 2014
16.	कप्तान सिंह सोलंकी	27 जुलाई 2014	24 अगस्त 2018
17.	सत्यदेव नारायण आर्य	25 अगस्त 2018	7 जुलाई 2021
18.	बण्डारू दत्तात्रेय	15 जुलाई, 2021	वर्तमान

हरियाणा में राष्ट्रपति शासन

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के दौरान राष्ट्रपति कार्यपालिका का कार्य अपने हाथ में ले लेता है। हरियाणा में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

राष्ट्रपति शासन	अवधि	मुख्य विवरण
पहला	2 नवंबर, 1967 से 22 मई, 1968	राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राज्यपाल वीएन चक्रवर्ती थे।
दूसरा	30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977	राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और राज्यपाल जयसुख लाल हाथी थे।
तीसरा	6 अप्रैल, 1991 से 23 जुलाई, 1991	राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और राज्यपाल धनिक लाल मंडल थे।

2 CHAPTER मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

संवैधानिक प्रावधान

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार का मुखिया होता है। भारत के संविधान के अनुसार, राज्य-स्तर पर राज्यपाल प्रमुख होता है, लेकिन वास्तव में कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है।

अनुच्छेद	प्रावधान
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्।
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध।
167	राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

नियुक्ति

- संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् के चयन और नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।
- अनुच्छेद **164**(1) - मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल**,** मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।

कार्यकाल

- **मुख्यमंत्री** का कार्यकाल निश्चित **नहीं** है, और वह **राज्यपाल** के **प्रसादपर्यंत** पद पर बना रहता है। **(अनुच्छेद 164(1))**
- मुख्यमंत्री को जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता (एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला, 1994)।
- किन्तु , यदि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद् विधानसभा का विश्वास खो देता है, सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है।
- मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या उनकी मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद् स्वतः ही भंग हो जाती है।
- **अनुच्छेद 164(4)-** कोई मंत्री जो लगातार छह महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति के बाद वह मंत्री पद धारण नहीं करेगा।
- मुख्यमंत्री का कार्यकाल **पाँच वर्षों** का होता है, और फिर चुनाव के माध्यम से पुनः चुनावी प्रक्रिया होती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री

1966 से, जब हरियाणा राज्य विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक दस लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। उनके जीवन, उपलब्धियों और हरियाणा के विकास में उनके योगदान पर निम्नलिखित में चर्चा की गई है:

- हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवान दयाल शर्मा थे।
- पंडित भगवान दयाल शर्मा, राव बीरेन्द्र सिंह और हुकम सिंह ने मुख्यमंत्री का पद केवल एक बार संभाला।
- हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार, बंसी लाल ने 3 बार और बनारसी दास गुप्ता, देवी लाल, भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2-2 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला।

हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की सूची

क्र.स.	नाम	कब से कब तक	
1.	पंडित भगवत दयाल शर्मा	1 नवंबर, 1966 - 23 मार्च, 1967	• उन्होंने **उड़ीसा** (1977) और **मध्य प्रदेश** (1980-84) के **गवर्नर** के रूप में भी सेवा दी। • उनका कार्यकाल **हरियाणा** के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा (143 दिन) था। • वह हरियाणा के पहले और एकमात्र **नियुक्त मुख्यमंत्री** थे।
2.	राव बीरेंद्र सिंह	24 मार्च, 1967 - 21 नवंबर, 1967	• उन्होंने **1967** में **विशाल हरियाणा पार्टी** बनाई, जो हरियाणा की पहली **क्षेत्रीय पार्टी** थी। • **मुख्यमंत्री** बनने से पहले, वह हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष **स्पीकर** थे। • हालांकि, उन्होंने विधानसभा के स्पीकर के रूप में केवल **16 दिनों** तक कार्य किया, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल था।
3.	**राष्ट्रपति शासन**	2 नवंबर, 1967 - 21 मई, 1968	

4.	बंसी लाल	22 मई, 1968 - 30 नवंबर, 1975	• उन्हें **आधुनिक हरियाणा के निर्माता**, **हरियाणा के आयरन मैन** आदि के नाम से भी जाना जाता है। • उन्होंने **हरियाणा विकास पार्टी** की स्थापना की।
5.	बनारसी दास गुप्ता	1 दिसंबर, 1975 - 30 अप्रैल, 1977	• वह **अपना देश** और **हरियाणा केसरी** समाचार पत्रों के संपादक थे और उन्होंने **पंचायती राज क्यों और कैसे** नामक पुस्तक भी लिखी।
6.	**राष्ट्रपति शासन**	30 अप्रैल, 1977 - 20 जून 1977	
7.	चौधरी देवीलाल	21 जून 1977 - 28 जून, 1979	• वे ताऊ, किंग-मेकर, जन-नायक, शेर-ए-हरियाणा आदि नामों से लोकप्रिय हैं।
8.	भजन लाल	29 जून 1979 - 5 जुलाई 1985	• उन्होंने केंद्र सरकार में **केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री**, **केंद्रीय कृषि मंत्री**, और **वन और पर्यावरण मंत्री** के रूप में सेवा दी। • उन्होंने **हरियाणा जनहित कांग्रेस** की स्थापना की।
9.	बंसी लाल	5 जुलाई 1985 - 20 जून 1987	
10.	चौधरी देवीलाल	20 जून 1987 - 2 दिसंबर, 1989	
11.	ओम प्रकाश चौटाला	2 दिसंबर, 1989 - 22 मई, 1990	• यह **हरियाणा के मुख्यमंत्री** के रूप में **5 बार शपथ ग्रहण** कर चुके थे।
12.	बनारसी दास गुप्ता	22 मई, 1990 - 12 जुलाई 1990	
13.	ओम प्रकाश चौटाला (सबसे छोटा कार्यकाल)	12 जुलाई 1990 - 17 जुलाई 1990	• **ओम प्रकाश चौ**टाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा (5 दिन) कार्यकाल निभाया।
14.	हुकुम सिंह	17 जुलाई 1990 - 22 मार्च, 1991	• वह **हरियाणा के आठवें मुख्यमंत्री** के रूप में सेवा दे चुके हैं।
15.	ओम प्रकाश चौटाला	22 मार्च, 1991 - 6 अप्रैल, 1991	
16.	**राष्ट्रपति शासन**	6 अप्रैल, 1991 - 22 जून, 1991	
17.	भजन लाल	23 जून 1991 - 10 मई 1996	
18.	बंसी लाल	11 मई 1996 - 23 जुलाई 1999	
19.	ओम प्रकाश चौटाला	24 जुलाई 1999 - 4 मार्च, 2005	
20.	भूपेन्द्र सिंह हुड्डा	5 मार्च, 2005 - 24 अक्टूबर 2014	• उन्होंने हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा (5 मार्च, 2005 से 10 अक्टूबर, 2014) था।
21.	मनोहर लाल खट्टर	26 अक्टूबर 2014 - 12 मार्च 2024	• उन्हें **हरियाणा के चौथे लाल** के नाम से भी जाना जाता है। • उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा के **प्रत्येक जिले** में एक **महिला पुलिस थाना** होगा। • वह **हरियाणा के पहले अविवाहित मुख्यमंत्री** हैं।
22.	नायब सिंह सैनी	12 मार्च 2024 से वर्तमान	• वह **हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री** हैं।

मंत्री परिषद्

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्य सरकार की सहायता, सलाह और कार्यों का संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी।
- मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- मंत्रिपरिषद में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को विधान सभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए।
- राज्य की कार्यकारी शक्ति वास्तव में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित है।
- मंत्रिपरिषद को कैबिनेट मंत्री के रूप में भी जाना जाता है और वे निर्वाचित सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं।
- इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, हालांकि विधानसभा में सत्ता पक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने पर इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है।
- मंत्रिपरिषद को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उप मंत्री और सदन के सचिव में विभाजित किया गया है।

क्र. स.	मुख्यमंत्री का नाम	विभाग
1.	श्री नायब सिंह (मुख्यमंत्री)	1. गृह 2. वित्त, संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण। 3. योजना। 4. उत्पाद शुल्क एवं कराधान। 5. शहर और देश की योजना और शहरी संपदा। 6. सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति। 7. न्याय प्रशासन। 8. सामान्य प्रशासन। 9. सभी के लिए आवास। 10. आपराधिक जांच (सीआईडी)। 11. कार्मिक और प्रशिक्षण. 12. कानून एवं विधायी
केबिनेट मंत्री		
2.	श्री अनिल विज (मंत्री)	1. ऊर्जा। 2. परिवहन। 3. श्रम।
3.	श्री. कृष्ण लाल पँवार (मंत्री)	1. विकास और पंचायत। 2. खान और भूविज्ञान.
4.	श्री राव नरबीर सिंह (मंत्री)	1. उद्योग एवं वाणिज्य। 2. पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन। 3. विदेशी सहयोग। 4. सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण।
5.	श्री महिपाल ढांडा (मंत्री)	1. स्कूल शिक्षा। 2. उच्च शिक्षा। 3. अभिलेखागार। 4. संसदीय मामले।
6.	श्री विपुल गोयल (मंत्री)	1. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 2. शहरी स्थानीय निकाय 3. नागरिक उड्डयन
7.	श्री अरविंद कुमार शर्मा (मंत्री)	1. सहयोग. 2. जेल. 3. चुनाव. 4. विरासत और पर्यटन.
8.	श्री श्याम सिंह राणा (मंत्री)	1. कृषि एवं किसान कल्याण। 2. पशुपालन एवं डेयरी। 3. मत्स्य पालन।
9.	श्री रणबीर गंगवा। (मंत्री)	1. सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। 2. लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कें)
10.	श्री कृष्ण कुमार (मंत्री)	1. सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियाँ और पिछड़े वर्गों की कल्याण और अंत्योदय (SEWA) 2. अतिथि सत्कार 3. वास्तुकला
11.	श्रीमती श्रुति चौधरी (मंत्री)	1. महिला एवं बाल विकास। 2. सिंचाई एवं जल संसाधन।

12.	सुश्री आरती सिंह राव **(**मंत्री)	1. स्वास्थ्य। 2. चिकित्सा शिक्षा एवं संसाधन। 3. आयुष।
13.	श्री राजेश नागर **(**राज्य मंत्री)	1. खाद्य**,** नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। (स्वतंत्र प्रभार) 2. मुद्रण एवं स्टेशनरी (स्वतंत्र प्रभार)
14.	श्री गौरव गौतम **(**राज्य मंत्री)	1. युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। (स्वतंत्र प्रभार) 2. खेल। (स्वतंत्र प्रभार) 3. कानून एवं विधायी (संलग्न)।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

3 CHAPTER राज्य विधानमंडल

- भारत में राज्य सरकारें भारतीय संविधान के भाग VI, अनुच्छेद 152-237 के अनुसार स्थापित की गई हैं, इसमें राज्यों की विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ शामिल हैं।

राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
168	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन
169	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
170	विधान सभाओं की संरचना
171	विधान परिषदों की संरचना
172	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
173	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
174	राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
175	विधानमंडल में राज्यपाल को अभिभाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार।
176	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ।
177	विधानसभा से संबंधित मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ।

विधान-सभा

हरियाणा राज्य की एक सदनीय विधायिका है, जिसे विधायिका सभा (Legislative Assembly) कहा जाता है। एक सदनीय विधायिका वह होती है जिसमें केवल एक सदन होता है।

- जब हरियाणा राज्य 1 नवंबर, 1966 को बना था, तब पहले परिसीमन आयोग ने विधायिका सभा में 54 सीटें निर्धारित की थीं, जिनमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं।
- मार्च 1967 में दूसरे परिसीमन आयोग और 1977 में तीसरे परिसीमन आयोग ने सीटों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 81 और 90 कर दी। अब तक, हरियाणा की विधायिका सभा में राज्यपाल द्वारा कोई सदस्य नामित नहीं किया गया है।

हरियाणा विधान सभा

- राज्य विधानसभाओं को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो भारतीय संविधान की सातवें अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- हरियाणा विधान सभा की अवधि 5 वर्ष होती है अनुच्छेद 172), सिवाय इसके कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर इसे पहले भंग कर दिया जाए।

अर्हता:

भारतीय संविधान के अनुसार	जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार
• भारत का नागरिक होना चाहिए • **न्यूनतम आयु:** ○ विधान परिषद : 30 वर्ष ○ विधान सभा : 25 वर्ष • संसद द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए • इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा।	• **विधान परिषद:** ○ **चुनाव द्वारा चुने जाने के लिए:** संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। ○ **राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाने के लिए:** संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। • **विधान सभा :** वह संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।

- विधान सभा में सदन की बैठक के लिए, सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

सीट

- अनुच्छेद 332 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- इस प्रावधान के साथ हरियाणा ने अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित कर दीं। ये हैं:

1. पटौदी	10. बावनी खेड़ा
2. झज्जर	11. खरखौदा
3. शाहाबाद	12. नारवाना
4. होडल	13. कलानौर
5. इस्सराना	14. गुहला
6. मुलाना	15. रतिया
7. उकलाना	16. कलांवाली
8. सदाहुरा	17. बावल
9. निलोखेरी	

- विधानसभा सत्रों को आयोजित करने के लिए आवश्यक क्यूम (क्वोरम) का निर्धारण स्पीकर द्वारा किया जाता है। भारत में, यह कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है।
- हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर थे राव वीरेंद्र सिंह।

- हरियाणा में, विधानसभा में सबसे कम सीटों वाला जिला पंचकुला है, जिसमें 2 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला हिसार है, जिसमें 7 सीटें हैं।
- क्षेत्रफल के हिसाब से, हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र लोहारू है, और सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र बलरामगढ़ है।
- महेन्द्रगढ़, पंचकुला, नूह और फरीदाबाद जिलों में हरियाणा में कोई आरक्षित सीट नहीं है।
- कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र जिला है, जिसके पास कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, और झज्जर एकमात्र जिला मुख्यालय है, जो आरक्षित है।

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

- हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में स्थित सबसे शानदार भवनों में से एक है।
- इसका डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुजियर ने किया था और इसका शाही गेट भारतीय सरकार को फ्रांसीसी सरकार ने उपहार स्वरूप दिया था।
- हरियाणा राज्य के गठन से पहले, विधान सभा सचिवालय का वह हिस्सा जिसे पंजाब विधान परिषद द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, अब हरियाणा विधान सभा द्वारा उपयोग किया जाता है।

हरियाणा की विभिन्न विधान सभाएँ

पहली हरियाणा विधान सभा 1966 में बनी थी। इसके बाद अब तक चौदह विधान सभाएँ बन चुकी हैं। इन विधान सभाओं का विवरण इस प्रकार है:

राज्य विधानसभा	कार्यकाल	मुख्य विवरण
प्रथम	1-11-1966 से 28-02-1967	• विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर, 1966 को हुई। • मात्र 54 सदस्यों वाली यह राज्य की सबसे छोटी विधानसभा थी। • इस सभा के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे तथा शन्नो देवी अध्यक्ष थीं।
द्वितीय	17-03-1967 से 21-11-1967	• इस सभा में 81 सदस्य थे। • इस विधानसभा की पहली बैठक 17 मार्च, 1967 को हुई थी। • इस सभा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे और दो अध्यक्ष, श्री चंद और बाद में मनफूल सिंह थे • यह विधानसभा पहली गैर-कांग्रेसी विधानसभा थी और इसी विधानसभा में पहली बार 2 नवंबर, 1967 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
तीसरी	15-07-1968 से 21-01-1972	• इस सभा में 81 सदस्य थे और इसकी पहली बैठक 15 जुलाई, 1968 को हुई थी। • इस सभा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल और अध्यक्ष रण सिंह थे। • हरियाणा में पहली जनगणना इसी विधानसभा के दौरान हुई थी। • इस विधानसभा के दौरान 29 नवंबर 1970 को हरियाणा सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया।
चतुर्थ	3-04-1972 से 30-04-1977	• इस सभा की पहली बैठक 3 अप्रैल, 1972 को हुई थी। • इस सभा के दौरान दो मुख्यमंत्री- पहले चौधरी बंसी लाल और दूसरे बनारसी दास गुप्ता और दो अध्यक्ष - पहले बनारसी दास गुप्ता और दूसरे स्वरूप सिंह थे। • इस विधानसभा के दौरान 30 अप्रैल 1977 को दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। • इस राज्य विधानसभा का कार्यकाल सबसे लंबा था।
पांचवी	04-07-1977 से 19-04-1982	• इस सभा में सदस्यों की कुल संख्या 90 थी। • इस विधानसभा की पहली बैठक 4 जुलाई, 1977 को हुई थी। • इस सभा के दौरान दो मुख्यमंत्री - पहले चौधरी भजनलाल और दूसरे चौधरी बंसी लाल और दो अध्यक्ष- रण सिंह और कर्नल राम सिंह थे। • प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज इस विधानसभा में सबसे कम उम्र (25 वर्ष) की कैबिनेट मंत्री बनीं।
छठी	24-06-1982 से 23-06-1987	• इस विधानसभा की पहली बैठक 24 जून, 1982 को हुई थी। • इस सभा के दौरान दो मुख्यमंत्री -चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल और अध्यक्ष सरदार तारा सिंह थे।
सातवीं	09-07-1987 से 06-04-1991	• इस विधानसभा की पहली बैठक 9 जुलाई, 1987 को हुई थी। इस विधानसभा के अध्यक्ष हरमहेंद्र सिंह चड्ढा थे। • इस सभा के दौरान 6 बार चार मुख्यमंत्रियों चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला (3 बार), बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह ने शपथ ली।

आठवीं	(09-07-1991 से 10-05-1996)	• इस विधान सभा की पहली बैठक 9 जुलाई, 1991 को हुई थी। • इस सभा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल थे तथा अध्यक्ष ईश्वर सिंह थे। • इस सभा के दौरान 1 जनवरी 1992 को पानीपत जिले का गठन किया गया।
नौवीं	22-05-1996 से 14-12-1999	• इसकी पहली बैठक 22 मई, 1996 को हुई थी। • इस विधानसभा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और अध्यक्ष चतर सिंह चौहान थे। • इस विधानसभा के दौरान 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
दसवीं	09-03-2000 से 08-03-2005	• इस विधानसभा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अध्यक्ष सतबीर सिंह थे। • इस विधानसभा की पहली बैठक 9 मार्च, 2000 को हुई थी।
ग्यारहवीं	21-03-2005 से 21-08-2009	• इस विधानसभा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और दो अध्यक्ष - पहले हरमहेंद्र सिंह चड्ढा और बाद में डॉ. रघुवीर कादियान थे ।
बारहवीं	28-10-2009 से 20-10-2014	• इसकी पहली बैठक 28 अक्टूबर, 2009 को हुई थी। • इस सभा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और वक्ता हरमहेंद्र सिंह चड्ढा और कुलदीप शर्मा थे।
तेरहवीं	20-10-2014 से 21-10-2019	• इस विधानसभा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर थे। • इस राज्य विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में महिला विधायक (13) चुनी गईं।
चौदहवीं	04-11-2019 से 08-10-2024	• इस विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा हैं। • इस विधानसभा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं।
पंद्रहवीं	08-10-2024 से वर्तमान तक	• इस विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिड्ढा हैं। • इस विधानसभा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है.

विधानसभा अध्यक्ष

- विधान सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- आम तौर पर, अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है लेकिन वह निर्णायक मत का उपयोग करता है।
- अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- यदि किसी अध्यक्ष को उसके पद से मुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह उस सदन की अध्यक्षता नहीं करता है।
- शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थीं। वह भारत की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं।
- हरमहेंद्र सिंह चड्ढा तीन बार 1987 से 1991, 2005 से 2006 और 2009 से 2011 तक विधानसभा अध्यक्ष चुने गए।
- चंद्रावती हरियाणा विधान सभा की पहली महिला सदस्य थीं। इसके अलावा, वह पहली महिला थीं जिन्हें पुडुचेरी का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सबसे अधिक (6) बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली महिला प्रसन्नी देवी थीं।

अध्यक्षों की सूची

नाम	कब से	कब तक
शन्नो देवी	6 दिसंबर, 1966	17 मार्च, 1967
राव बीरेंद्र सिंह (सबसे छोटा कार्यकाल)	17 मार्च, 1967	23 मार्च, 1967
श्री चन्द्र	30 मार्च, 1967	19 जुलाई 1967
मनफूल सिंह	20 जुलाई, 1967	21 नवंबर, 1967
रण सिंह	15 जुलाई, 1968	3 अप्रैल, 1972
बनारसी दास गुप्ता	3 अप्रैल, 1972	15 नवंबर, 1973
स्वरूप सिंह	16 नवंबर, 1973	4 जुलाई 1977
रण सिंह	04 जुलाई 1977	8 मई, 1978
करनाल राम सिंह	15 मई, 1978	24 जून, 1982
सरदार तारा सिंह (सबसे लम्बा कार्यकाल)	24 जून, 1982	9 जुलाई 1987
हरमहेंद्र सिंह चड्ढा	09 जुलाई 1987	9 जुलाई 1991
ईश्वर सिंह	09 जुलाई 1991	22 मई, 1996
छतर सिंह चौहान	22 मई, 1996	27 जुलाई 1999
अशोक कुमार अरोड़ा	28 जुलाई 1999	1 मार्च, 2000
सतबीर सिंह कादियान	9 मार्च, 2000	21 मार्च 2005
हरमहेंद्र सिंह चड्ढा	21 मार्च 2005	12 जनवरी 2006

डॉ. रघुबीर सिंह कादयान	13 जनवरी 2006	27 अक्टूबर 2009
हरमहेंद्र सिंह चड्ढा	28 अक्टूबर 2009	28 जनवरी 2011
कुलदीप शर्मा	04 मार्च, 2011	2 नवंबर 2014
कंवरपाल गुर्जर	3 नवंबर 2014	2 नवंबर 2019
ज्ञानचंद गुप्ता	04 नवंबर, 2019	05 अक्टूबर 2024
हरविंदर कल्याण	05 अक्टूबर 2024	वर्तमान

संसद में हरियाणा का प्रतिनिधित्व

- राज्यसभा में हरियाणा की सीटों की संख्या 5 है, जबकि लोकसभा में सीटों की संख्या 10 है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भिवानी-महेंद्रगढ़ है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र फ़रीदाबाद है।
- भारत के परिसीमन आयोग, 1971 की रिपोर्ट के अनुसार, सिरसा और अंबाला लोकसभा क्षेत्र की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

हरियाणा कार्यपालिका

- कार्यपालिका सरकार का वह हिस्सा है जिसके पास राज्य के दैनिक प्रशासन के लिए एकमात्र अधिकार और जिम्मेदारी है।
- किसी राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं।

राज्य सचिवालय

- राज्य सचिवालय को मुख्य सचिव कार्यालय के रूप में भी जाना जाता है यह राज्य सरकार का कानून क्रियान्वयन निकाय है।
- सचिवालय में विभिन्न मंत्रालयों के अलग-अलग विभाग होते हैं।
- निर्णय लेना, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन और प्रशासन राज्य सचिवालय से किया जाता है।
- हरियाणा में, राज्य सचिवालय इसकी राजधानी यानी चंडीगढ़ में स्थित है।
- राज्य सचिवालय का नेतृत्व मुख्य सचिव करता है जो राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है।
- मुख्य सचिव को संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और अवर सचिवों सहित अन्य विभागों के सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा के स्थानीय राजनीतिक दल

हर राज्य में कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो सिर्फ़ उसी राज्य में काम करते हैं। इन्हें स्थानीय दल कहा जाता है। हरियाणा के स्थानीय राजनीतिक दलों की चर्चा इस प्रकार है:

- **भारतीय लोकदल**
  - इसकी स्थापना चौधरी देवीलाल ने 1974 में हरियाणा के रोरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह खेत जोतता किसान था। 1987 में चौधरी देवीलाल इसी पार्टी से चुनाव जीतकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1990 में यह पार्टी विभाजित हो गई
- **जनता दल:**
  - इस पार्टी का गठन 11 अक्टूबर, 1988 को जनता पार्टी, लोक दल (B) और जन मोर्चा के विलय के परिणामस्वरूप हुआ था। 1989 में इस पार्टी ने अन्य दलों के समर्थन से केंद्र में सरकार स्थापित की। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पहिया था। फिलहाल यह पार्टी कई अन्य गुटों में बंटी हुई है
- **इंडियन नेशनल लोकदल:**
  - इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना अक्टूबर 1996 में ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवी लाल ने मिलकर हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) के रूप में की थी। पार्टी का प्रतीक चश्मा है और इसकी विचारधारा सामाजिक उदारवाद है। वर्तमान में, ओम प्रकाश चौटाला अध्यक्ष हैं और अजय सिंह चौटाला महासचिव हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 19 सीटें जीती थीं लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली।
- **हरियाणा विकास पार्टी:**
  - हरियाणा विकास पार्टी इस पार्टी का गठन 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने किया था। इस पार्टी ने बीजेपी के साथ विलय के बाद हरियाणा में सरकार बनाई। लेकिन 1999 में यह सरकार भंग हो गई। 2004 में इस पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया।
- **जननायक जनता पार्टी:**
  - जननायक जनता पार्टी की स्थापना 9 दिसंबर, 2018 को हुई थी और यह देवीलाल की समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है, इसका प्रतीक चाबी है। इसकी स्थापना चौधरी देवीलाल के परपोते दुष्यंत चौटाला ने की थी, जो इस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसका गठन जींद में हुआ था और यह हरियाणा के कई हिस्सों में बहुत लोकप्रिय है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 10 सीटें जीतीं। उन्हें यूथ आइकन ऑफ द ईयर 2019' का खिताब दिया गया है।